



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276826
CG-DL-E-06102026-276826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5176]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5176]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5384(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 810(E) तारीख 16/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH-166 के कि.मी. 145.300 से कि.मी.182.556 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20/02/2026 को “द इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]”, 20/02/2026 को “दैनिक पुढारी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166 के कि.मी. 145.300 से कि.मी.182.556 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सांगली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मिरज					
गांव का नाम: अंकली					
1	400 अंशतः	निजी	कृषिक	0.003	अनिकेत अविनाश नंदुर्गे
2	411 अंशतः	निजी	कृषिक	0.125	बाजीराव तात्या खवाटे, जयश्री रावसो खवाटे, दर्शन रावसो खवाटे, राजेश रमेश खवाटे, आयुष महेश खवाटे,
3	412 अंशतः	निजी	कृषिक	0.03	सुकुमार धनपाल खवते
Total				0.158	

[फा. सं. NHA/PIU/KOLHAPUR/Chokak-Ankli/2022/3D1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5384(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **810(E) Dated:16/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-166 in the stretch of land from Km. 145.300 to Km. 182.556(Kolhapur (Chokak)-Sangli (Ankali)section) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 20/02/2026, “Dainik Pudhari” dated 20/02/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 145.300 to Km. 182.556 (Kolhapur (Chokak)-Sangli (Ankali)section) of NH-166 in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Miraj					
Village: Ankali					
1	400 Part	Private	Agriculture	0.003	Aniket Avinash Nandurge
2	411 Part	Private	Agriculture	0.125	Bajirao Tatya Khavate, Jayashree Ravaso Khavate, Darshan Ravaso Khavate, Rajesh Ramesh Khavate, Aayush Mahesh Khavate
3	412 Part	Private	Agriculture	0.03	Sukumar Dhanpal Khavate
Total				0.158	

[F. No. NHAI/PIU/KOLHAPUR/Chokak-Ankli/2022/3D1]

SHAIKH AMINKHAN, Director